रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 1990/वैशाख 26, 1912
No. 262] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 1990/VAISAKHA 26, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1990

का.आ. 389(अ) :—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 31 के पहले परन्तुक के खंड (iii) धारा 8 की उपधारा (6) और धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 115 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए मैं के.जे. रेड्डी प्रशासक, इस राय का होते हुए, कि इसमें विनिर्दिष्ट वर्ग के मामलों की विशेष परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करती हैं :—

(i) हट्टी स्वर्ण खान लिमिटेड को या तो सीधे या हट्टी स्वर्ण खान लिमिटेड द्वारा इस नियमित्त अभिकर्त्ता के रुप में नियुक्त किसी अनुज्ञप्त व्यौहारी के माध्यम से या नई दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के माध्यम से अनुज्ञप्त व्यौहारियों या प्रमाणित स्वर्णकारों को मानक स्वर्ण शलाकाओं के रुप में किसी प्राथमिक स्वर्ण का विक्रय, परिदान, अन्तरण या अन्यथा व्ययन करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राधिकृत करता हूं कि अनुज्ञप्त व्यौहारी की दशा में विक्रय प्रति दिन प्रति व्यौहारी स्वर्ण के एक किलोग्राम से अधिक नहीं होगा और प्रमाणित स्वर्णकार की दशा में स्वर्ण का विक्रय प्रति दिन स्वर्ण के एक सौ ग्राम से अधिक नहीं होगा;

(ii) ऐसे अनुज्ञप्त व्यौहारियों और प्रमाणित स्वर्णकारों को उक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट रुप में हट्टी स्वर्ण खान लिमिटेड द्वारा इस प्रकार, विक्रय, परिदत्त अंतरित किए गए या अन्यथा व्ययन किए गए प्राथमिक स्वर्ण का क्रय करने, उसे स्वीकार करने, प्राप्त करने या अन्यथा अर्जित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं;

(iii) ऐसे अनुज्ञप्त व्यौहारियों को इस प्रकार अर्जित प्राथमिक स्वर्ण को प्रमाणित स्वर्णकार को मानक स्वर्ण शलाका के रुप में विक्रय, परिदान, अन्तरण या अन्यथा व्ययन करने के लिए अथवा मानक स्वर्ण शलाकाओं का प्रमाणित स्वर्णकार या कारीगर द्वारा आभूषणों में संपरिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए इस शर्त के साथ परिदान करने के लिए कि पश्चातवर्ती ऐसे आभूषणों को अनुज्ञप्त व्यौहारी को वापस कर दिया जाए, प्राधिकृत करता हूं। आगे, वही अनुज्ञप्त व्यौहारी स्वर्णकार या कारीगर द्वारा उसको वापस किए गए आभूषणों का किसी अन्य अनुज्ञप्त व्यौहारी को विक्रय, परिदान, अन्तरण या अन्यथा व्ययन भी कर सकेगा ;

(iv) ऐसा अनुज्ञप्त व्यौहारी उक्त स्वर्ण को किसी अन्य अनुज्ञप्त स्वर्ण व्यौहारी को विक्रय, परिदान, अन्तरण या अन्यथा व्ययन कर सकेगा; और

(v) ऐसा अनुज्ञप्त व्यौहारी प्राथमिक स्वर्ण का मानक स्वर्ण शलाकाओं के रुप में विक्रय परिदान, अन्तरण या अन्यथा व्ययन पूर्वोक्त खंड (i) से (iv) तक में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं।

[सं. 3/90-जी.सी.मि.स. 145/20/90-जी.सी.]

के० जे० रेड्डी, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 1990

S.O. 389(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 115 read with clause (iii) of the first proviso to Section 31, sub-section (6) of the section 8 and sub-section (2) of Section 9, of the Gold (Control) Act (45 of 1968) I, K. J. Reddy, Administrator, being of the opinion that special circumstances of the class of cases specified herein so require, hereby authorise :—

(i) The Hutti Gold Mines Limited to sell deliver, transfer or otherwise dispose of any primary gold in the form of standard gold bars to licensed dealers or certified goldsmiths either directly or through a licensed dealer appointed as an agent in this behalf by Hutti Gold Mines Limited or through the main branch of the State Bank of India at New Delhi, Calcutta, Bombay and Madras, subject to the condition that in the case of licensed dealer the sale shall not exceed 1 kg. of gold per dealer per day and in the case of certified goldsmith the sale of gold shall not exceed one hundred grams of gold per day;

(ii) Such licensed dealers and certified goldsmiths to buy, accept, receive or otherwise acquire the primary gold so sold, delivered, transferred or otherwise disposed of by Hutti Gold Mines Limited, as specified in clause (i) above;

(iii) Such licensed dealer to sell, deliver, transfer or otherwise dispose of, primary gold so acquired to a certified goldsmith in the form of standard gold bars or deliver the standard gold bars to a certified goldsmith or an artisan for the purpose of conversion into ornaments with a condition of subsequent return of such ornaments to the licensed dealer. Further, the same licensed dealer may also sell, deliver, transfer or otherwise dispose of ornaments, returned to him from the goldsmit hor artisan to any other licensed dealer;

(iv) Such licensed dealer may sell, deliver, transfer or otherwise disposed off the said gold to any other licensed gold dealer; and

(v) Such licensed dealer shall not, sell, deliver, transfer or otherwise dispose of the primary gold in the form of standard gold bars except in accordance with the provisions contained in the aforesaid clause (i) to (iv).

[No. 3|90-GC. F. No. 145|20|90-GC.]
K. J. REDDY, Gold Control Administrator

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990